

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1524

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, MARCH 15, 2022/ PHALGUNA 24, 1943 (SAKA)

RATIONALISATION OF INCOME TAX SLABS

1524. SHRI G. C. CHANDRASHEKHAR.

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) whether Government has assessed the impact of the current taxation system in disincentivising people from seeking higher earnings;
- (b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor;
- (c) whether Government has taken cognisance of the sharp jump in personal income tax slabs from 5 per cent to 20 per cent slabs, 30 per cent slabs and in some cases, over 40% due to multiple cesses;
- (d) whether Government is considering reduction or rationalisation of income tax slabs; and
- (e) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

ANSWER

**MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)**

(a) and (b) India has progressive direct taxation system wherein an individual or Hindu undivided family (HUF) or an association of person or body of individuals is required to pay tax at a higher rate with an increase in income levels.

II. The progressive tax policy does not intend to disincentivise people from seeking higher earnings but recognizes that taxpayers play a major role in nation building by paying their taxes as per their capacity. With rising income levels, those in the higher income brackets, need to contribute more to the Nation's development. This ensures vertical equity and makes our taxation regime progressive.

(c), (d) and (e) It is the stated policy of the Government to phase out tax exemptions and deductions provided under the Income-tax Act, 1961 (the Act) while simultaneously reducing the tax rates.

II. In line with this stated policy, Finance Act, 2020 amended the Act by way of insertion of section 115BAC in the Act to provide an option to individual and HUF taxpayers for paying income-tax at the following lower slab rates subject to certain conditions including that that they do not avail specified tax exemptions or deductions:

Total Income (Rs)	Rate (%) (Optional Regime)
Up to 2,50,000	Nil
From 2,50,001 to 5,00,000	5
From 5,00,001 to 7,50,000	10
From 7,50,001 to 10,00,000	15
From 10,00,001 to 12,50,000	20
From 12,50,001 to 15,00,000	25
Above 15,00,000	30

III. As is evident from the above, under the optional taxation regime for individuals and HUF taxpayers, there is no sharp jump in the tax rates with higher income levels.

IV. Maximum marginal tax rate of a taxpayer having total income exceeding Rs 5 crore will go over 40% after including surcharge and a health and education cess. As stated above the surcharge in such cases ensures that those in the higher income brackets contribute more to the Nation's development.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
आतरांकित प्रश्न सं. 1524

(जिसका उत्तर मंगलवार, मार्च 15, 2022/ फाल्गुन 24, 1943 (शक) को दिया जाना है)

आयकर स्लैबों को युक्तिसंगत बनाया जाना

1524. श्री जी.सी. चंद्रशेखर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने लोगों को अधिक आय प्राप्त करने से हतोत्साहित करने में वर्तमान कराधान प्रणाली के प्रभाव का आकलन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने कई उपकरणों के कारण व्यक्तिगत आयकर स्लैबों में 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के स्लैब, 30 प्रतिशत के स्लैब और कुछ मामलों में 40 प्रतिशत से अधिक के स्लैब में भारी बढ़ोतरी का संज्ञान लिया है;
- (घ) क्या सरकार आयकर स्लैब में कमी करने अथवा उसको युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) व (ख) भारत की प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली प्रगतिशील है। जहां व्यक्तिगत अथवा हिंदु अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति का समूह अथवा व्यक्तिगत इकाई अथवा कृत्रिम विधिक व्यक्ति को आय में बढ़ोतरी का स्तर बढ़ने पर ऊंची दर पर कर भुगतान करना आवश्यक है।

II. प्रगतिशील कर नीति का उद्देश्य लोगों को अधिक कमाने से हतोत्साहित करना नहीं है किंतु यह मानना है की, अपनी क्षमता के अनुसार कर अदा करके वे राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बढ़ते आय के स्तर के साथ जो अधिक आय श्रेणी में आते हैं, उन्हें राष्ट्र के विकास में अधिक योगदान देते हैं। यह लंबवत् इक्विटी सुनिश्चित करता है तथा कराधान नीति को प्रगतिशील बनाता है।

(ग), (घ) व (ङ) यह सरकार की कथित नीति है कि कर छूट को क्रमबद्ध रीति से हटाया जाए और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत्त कटौती को कम करके, कर की दरों को साथ-साथ घटाया जाए।

II. उक्त नीति के साथ, वित्त विधेयक, 2020 में अधिनियम की धारा 115 खकग का अन्वेषण करके अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि व्यक्तिगत तथा हिंदु अविभक्त कुटुंब करदाता को निम्नलिखित स्लैब दरों पर आयकर भुगतान करने का विकल्प दिया जा सके। बशर्ते कि वे निर्दिष्ट कर छूट या कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं:

कुल आय(रु.)	दर (%) (वैकल्पिक नीति)
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 से 5,00,000 तक	5
5,00,001 से 7,50,000 तक	10
7,50,001 से 10,00,000 तक	15
10,00,001 से 12,50,000 तक	20
12,50,001 से 15,00,000 तक	25
15,00,000 से अधिक	30

III. जैसा की उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वैकल्पिक कराधान नीति के तहत वैयक्तिक तथा हिंदू अविभक्त कुटुंब करदाताओं के लिए उच्चतम आय स्तर के लिए कर दरों में तीव्र उछाल नहीं है।

IV. उन करदाताओं जिनकी कुल आय रू. 5 करोड़ से अधिक है, स्वास्थ्य तथा शिक्षा उपकर के अधिभार को शामिल करने के पश्चात्, के लिए अधिकतम सीमांतर दर 40 प्रतिशत से ऊपर जाएगी। उपर्युक्त वर्णित ऐसे मामलों में अधिभार यह सुनिश्चित करता है कि जो उच्चतम आय सीमा में है वे राष्ट्र विकास में अधिक योगदान देते हैं।
